कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-68/2016-17/

दिनांक : /01/2017

सेवा में,

खण्ड विकास अधिकारी,

क्षेत्र पंचायत- द्वाराहाट

जिला- अल्मोडा

विषय : क्षेत्र पंचायत द्वाराहाट का वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग 4 (ब)-1 में **शून्य** प्रस्तर, भाग-4 (ब)-2 में **05** प्रस्तर तथा STAN मे शून्य प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी **(निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड)** के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या- 44/2016-17/ **दिनांक: /01/2017**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
2- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 राजपुर रोड़ निकट साई इंस्टीट्यूट, देहरादून।
3- निदेशक, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005
4- जिला पंचायतराज अधिकारी, अल्मोड़ा

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिये खण्ड विकास अधिकारी, क्षे.पं.- द्‌वाराहाट, जनपद- अल्मोडा पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत ब्लाक प्रमुख तथा खण्ड विकास अधिकारी का नाम तथा पदनाम

(i) श्रीमती ममता भट्ट - प्रमुख, क्षेत्र पंचायत

(ii) श्री नीलकंठ भट्ट खण्ड विकास अधिकारी (प्रभारी)

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम

(i) श्री एल.एस. लिगंवाल, स.ले.प.अ.

(ii) श्री नित्यानन्द सिंह, स.ले.प.अ.

(iii) श्री मनोहर सिहं, लेखापरीक्षक

(iv) श्री अशोक कुमार, व.ले.प.अ.

(स) संप्रेक्षा तिथि12.11.2016 से 22.11.2016 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि: 2013-14 से 2015-16 तक

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **ख.वि.अ. क्षे.पं.- द्‌वारहाट, जनपद- अल्मोडा**

(अ) उपरोक्त यदि ज़िला पंचायत है तो क्षेत्र पंचायतो तथा ग्राम पंचायतों की संख्या हैः-

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः-122

भौगोलिक क्षेत्र :--2422 हेक्टेयर

जनसंख्या : 60064

2- निर्वाचित सदस्यों की संख्या : 40

3- पंचायत द्‌वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 09

4- (ब) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठक की संख्या: बैठक: 06

5- कर्मचारियों की संख्या : 18

6- पंचायतराज की सम्पत्तियां : -

7- योजनाओं की संख्या :- -

8- (अ) सामाजिक संरक्षा

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें:-

(द) लाभार्थियों की संख्या:

9- वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्‌यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि : कोई नही

10- वर्ष के दौरान कुल व्यय : आय -व्यय विवरण के अनुसार

(अ) सामान्यः- भाग 3 के अनुसार

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्‌वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया है- हाँ

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः कार्यालय **खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत- द्वाराहाट, जनपद- अल्मोडा** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक की सम्प्रेक्षा श्री अशोक कुमार, व.ले.प.अ., श्री एल.एस.लिगंवाल स.ले.प.अ. श्री नित्यानन्द सिंह, स.ले.प.अ. एवं श्री मनोहर सिहं, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 12.11.2016 से 22.11.2016 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर भाग 4(ब)-1**	**प्रस्तर भाग 4(ब)-2**
(i)महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर		इकाई का प्रथम लेखापरीक्षा	

	प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग प्रस्तरों की संख्या**
(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर: -		

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची: - शून्य

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख: - शून्य

भाग-4(ब)2

प्रस्तर 1:- ` 34.55 लाख के स्वीकृत कार्यों का ` 13.55 लाख व्यय होने के बाद भी अपूर्ण रहना।

इकाई के वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक के लेखा-अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया गया कि विभिन्न मदों हेतु उक्त अवधि में स्वीकृत कार्यों में से संलग्न सूची "क" में अंकित कार्यों हेतु ` 34.55 लाख की धनराशि स्वीकृत थी जिन पर इकाई द्वारा लेखापरीक्षा तिथि (22 नवम्बर 2016) तक ` 13.55 लाख व्यय होने के बाद भी (42) कार्य अपूर्ण थे।

इकाई का ध्यान इस ओर दिले जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुये बताया गया कि कार्यों को शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि उक्त कार्यों को समय से पूर्ण हो जाना चाहिए था।

अतः ` 34.55 लाख के कार्यों का अपूर्ण रहने संबंधी प्रकरण को संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-4(ब)2

प्रस्तर 2:- ` 4.66 लाख की अवशेष धनराशि का समर्पण न किया जाना।

इकाई खण्ड़ विकास अधिकारी द्वारा हाट के लेखा-अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया गया कि 13वें वित्त आयोग का कार्यकाल वर्ष 2014-15 में समाप्त हो चुका है किन्तु इकाई के पास 13 वें वित्त से संबन्धित धनराशि ` 4.66 लाख वर्ष 2015-16 के अंत में इकाई के अभिलेखों में असमायोजित पडे थे, जिन्हे कि समर्पित कर दिया जाना चाहिये था।

आगे लेखापरीक्षा में देखा गया कि उक्त धनराशि ` 4.66 लाख को समर्पित करने के स्थान पर इकाई द्वारा इस धनराशि में से वर्ष 2016-17 हेतु चार कार्य निम्न विवरणानुसार स्वीकृत कर लिये गये थेः-

(धनराशि ` में)

क्र.	**कार्य का विवरण**	**स्वीकृत धनराशि**
1.	ग्रा.सभा ईड़ा के ग्राम वयेड़ा में पेयजल लाइन का विस्तार	50,000
2.	ग्रा.पं. दतेणा व उच्चाकोट में पेयजल योजना मरम्मत	1,00,000
3.	सिमगाँव के अन्तर्गत रिस्कन नदी से पेयजल योजना	60,000
4.	प्रा.पा. जमीनीवार में पेयजल योजना निर्माण	30,000
	योजना	**2,40,000**

जो कि समय-समय पर जारी शासनादेशों के विपरीत था।

इस संबंध में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा कहा गया कि क्षेत्र पंचायत की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की गई।

इकाई का उत्तर तर्क संगत न होने के कारण मान्य नहीं किया जा सकता है।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-4(ब)2

प्रस्तर 3:- ब्याज प्राप्ति के ` 2,93,418/- को राजकोष में जमा न करना एवं ` 4.96 लाख की धनराशि राजकोष में जमा किये जाने सम्बन्धी चालान प्रस्तुत न करना।

प्रमुख सचिब वित्त उत्तराखण्ड़ शासन के पत्रांक-347/वि.आ.नि.दे. (तृ.रा.वि.आ.)/2013 दिनाँक 17-01-2013 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धनराशि जो कि व्यय न होने के कारण विभिन्न बैंक खातों मे जमा रहती हैं पर प्राप्त होने वाली ब्याज की धनराशि को अतिशिघ्र राजकोष (मु.ले.शीर्ष-0049) में जमा करा दिया जाना चाहिए।

इकाई के लेखा-अभिलेखों एवं बैंक खातों की जाँच में पाया गया कि इकाई को वित्तीय वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 तक विभिन्न बैंक खातों में जमा धनराशि पर ब्याज के रुप में ` 15,65,839/- प्राप्त हुये जबकि ` 7,41,023/- पूर्ववर्ती वर्षों में प्राप्त ब्याज की धनराशि थी, इस प्रकार 2015-16 के अंत तक इकाई को कुल ` 23,06,862/- ब्याज के रुप में प्राप्त हुये थे जबकि इकाई द्वारा ` 15,17,337/- मात्र को राजकोष में जमा करने संबंधी चालान प्रस्तुत किये गये है, जबकि ब्याज मद में व्यय के रुप में ` 20,13,444/- एवं ` 2,93,418/- अवशेष दर्शाये गये थे।

सम्पूर्ण ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा न करने के संबंध में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई का उत्तर था कि अवशेष धनराशि का शीघ्र ही राजकोष में जमा करा दिया जायेगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि व्यय दर्शाई गई कुल धनराशि ` 20,13,444/- में से मात्र ` 15,17,337/- के ही चालान इकाई द्वारा प्रस्तुत किये गये है। शेष धनराशि को भी नियमानुसार राजकोष में जमा कार दिया जाना चाहिये था।

इस प्रकार ` 2,93,418 को राजकोष में जमा न किये जाने का एवं ` 4,96,107/- के चालानों के अप्रस्तुतीकरण का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-4(ब)2

प्रस्तर 4:- इकाई द्वारा उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम 3(10) का उल्लंघन कर ` 95,354/- की सामग्री का क्रय किया जाना।

उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम 3(10) के अनुसार "निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिये य़थासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाये। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिये आवश्यक मात्रा का विभाजित नहीं किया जायेगा ओर न ही कुल आवश्यकता के आंकलित मूल्य के संदर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृती प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिये छोटे-छोटे भागों में विभक्त किया जायेगा।" तथा उत्तरखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम 9 के अनुसार प्रत्येक अवसर पर ` 15,000/- से अधिक तथा ` 1,00,000/- तक (दिंनाक 15 जून 2015 के बाद ` 50,000/- से अधिक तथा ` 3,00,000/- तक) लागत की सीमा मे क्रय की जाने वाली सामग्री का क्रय, विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्यक रुप से गठित तीन समुचित स्तर के सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जा सकता है। इस क्रय समिति में अनिवार्य रुप से एक सदस्य वित्तीय सेवाओं या लेखापरीक्षा सेवाओं या अधिप्राप्ति क्रय प्रक्रिया संबंधी प्रक्रिया मे विशेष रूप से प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी/ क्रमचारी होगा जो अधिप्राप्ति संबन्धित प्रक्रियाओं और वित्तीय नियमों पर परामर्श देगा। यह क्रय समिति दरों की युक्ति युक्तता, गुणवत्ता तथा वशिष्ठता सुनिश्चित करने के लिए बाजार केए सर्वेक्षण करेगी और आपूर्तिकर्ता चिन्हित करेगी। क्रय आदेश देने की संस्तुति से पूर्व समिति के सदस्य संयुक्त रुप से एक प्रमाण पत्र अभिलेखित करेंगे।

विकास खण्ड़ द्वाराहाट, जनपद-अल्मोडा के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम 3(10) का उल्लंघन कर निविदा प्रक्रिया से बचने के लिये तथा अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृती प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिये आवश्यक सामग्री की मात्रा को छोटे-छोटे भागों में विभक्त करके संलग्रक "ख" के अनुसार ` 95,354/- की सामग्री का क्रय किया गया।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर इकाई ने तथ्यों की पुष्टि करते हुये अपने उत्तर में बताया कि भविष्य में उत्तरखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियमो का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा सामग्री क्रय करते समय ही उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिये था तथा समस्त आवश्यक सामग्री की मात्रा को टुकड़ों में विभक्त करके क्रय करने की बजाय निविदा प्रक्रिया अपनाकर क्रय किया जाना चाहिये था।

अतः इकाई द्वारा उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमवली, 2008 के नियम 3(10) का उल्लघंन कर ` 95,354/- की सामग्री के क्रय किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-4(ब)2

प्रस्तर 5(अ):- ` 7.24 लाख के उपभोग प्रमाण पत्रों का प्रेषित न किया जाना एवं ` 8.45 लाख का अवरुद्ध रहना।

जिला पंचायत राज अधिकारी अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्रांक 209 दिंनाक 16 मई 2015 द्वारा समस्त विकासखण्ड़ों को वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु क्षेत्र पंचायत विकास निधि में प्रावधानित धनराशि का आवंटन इस आशय के साथ किया गया था कि आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दिनांक 30.06.2015 तक आवश्यक रुप से कर लिया जाये एवं यदि उक्त तथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे नियमानुसार शासन को समर्पित कर दिया जाये।

इकाई के लेख-अभिलेखों की जाँच के दौरान संज्ञान में आया है कि इकाई को वित्तीय वर्ष में क्षे.पं.निधि के अन्तर्गत ` 7.24 लाख का आवंटन किया गया था इकाई के पास वर्षान्त तक ` 8.45 लाख इस मद में अवशेष दर्शाये गये है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो रहा है कि इकाई द्वारा शासनादेशों में दी गई शर्तों को ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

इस ओर लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई का कहना था कि वर्ष 2014-15 तक के उपभोग प्रमाण पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी को भेज दिये गये है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि उपरोक्त शासनादेश के बिन्दु क्र. 6 के अनुसार वर्ष 2015-16 का उपभोग प्रमाण पत्र भी 30 जून 2015 तक भेज दिये जाने चाहिए थे एवं अवशेष धनराशि शासन को समर्पित कर दी जानी थी, किन्तु इकाई द्वारा नियमों/ आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा था, एवं आदेशों के विपरीत ` 8.45 लाख इकाई के पास अवरुद्ध पड़े थे।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 5(ब):- स्ट्रीट लाईटों का वितरण स्वीकृति के अनुसार न किया जाना

इकाई की 13वें वित्त से संबधित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि विकास खण्ड के अन्तर्गत चयनित 11ग्राम पंचायतों में 38 स्ट्रीट लाइटें स्थापित की जानी थी, तथा स्ट्रीट लाइटें स्थापित करने के पश्चात स्थल की फोटो पत्रावली में विवरण सहित चस्पा किया जाना था,

आगे पत्रवली की जाँच में पाया गया कि उक्त स्ट्रीट लाइटों में से ग्रा0 पंचायत तल्ली कहाली हेतु 04 लाइटें स्वीकृत थी किन्तु 03 ही लाइटें स्थापित की गई थी, ग्राम धन्यारी हेतु भी 04 स्ट्रीट लाइट स्वीकृत थी किन्तु स्थापित 03 ही की गई थी, जबकि कुई मनोली व कुई मल्ली कहाली हेतु 4-4 लाइटें स्वीकृत थी किन्तु कुई मनोली में 08 लाइटें व मल्ली कहाली में मात्र 02 लाइटें ही स्थापित की गई थी

लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में उल्लिखित किये जाने पर इकाई का कहना था कि लाइटें आवश्यकता के अनुसार लगाई गई है।

इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि लाइटों का वितरण (स्वीकृति) पहले ही अनुमोदित किया जा चुका था

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-4, अनुभाग (स)</u>

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति खण्ड़ विकास अधिकारी **द्वाराहाट**, **जिला-अल्मोडा,** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड,वैभव पैलेस,सी-1/105,इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्था0नि0